

**बिहार सरकार**  
**(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)**  
**भू-अर्जन प्रशाखा**  
**अधिघोषणा**

संख्या : आर० पटना, दिनांक :

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव कसबा काँटी (चादर नं०-3), थाना नं०-63, अंचल-काँटी, जिला- मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन के अतिरिक्त 2x195 मेगावाट इकाई के लिए भूमिगत वाटर पाईप लाईन बिछाने हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि में उपयोग कर्ता के अधिकार का अर्जन किया जाना अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव कसबा काँटी (चादर नं०-3) थाना नं०-63, अंचल-काँटी, जिला-मुजफ्फरपुर के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम-वेश x बीघा x कड्डा x धूर x छटाँक है जो 12.465 (बारह एकड़ साढ़े छियालीस डिसमिल) एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन पूर्ण खेसरा नं०- 4668, 4674, 4680, 4681,4682,4688, 4716, 4717, 4770, 5053, 5615, 5616, 5620, 5621, 5625, 5626, 5719, 5720, 5721, 5722, 5723, 5726, 5727, 5753, 5763, 5765, 5769, 5770 एवं अंश खेसरा नं०-4478, 4479, 4480, 4665, 4666, 4667, 4669, 4673, 4675, 4684, 4687, 4689, 4698, 4699, 4710, 4711, 4713, 4715, 4718, 4869, 4871, 5225, 5519, 5520, 5521, 5614, 5617, 5618, 5619, 5622, 5623, 5624, 5627, 5628, 5629, 5718, 5724, 5725, 5728, 5729, 5732, 5747, 5748, 5751, 5752, 5754, 5761, 5762, 5766, 5767, 5768, 5771, 5776, 10425

चौहद्दी :-

उत्तर:-अर्जनाधीन अंश खेसरा नं०-4478, 4479, 4480, 4665, 4666, 4667, 4669, 4673, 4675, 4679, 4683, 4684, 4687, 4689, 4698, 4699, 4700, 4710, 4711, 4713, 4715, 4718, 4769, 5519, 5520, 5521, 5614, 5617, 5618, 5619, 5622, 5623, 5624, 5627, 5628, 5629, 5718, 5725, 5728, 5729, 5732, 5747, 5748, 5751, 5752, 5754, 5761, 5762, 5766, 5767, 5768, 5771, 5776 एवं पूर्ण खेसरा नं०-4868

कृ० पू० उ०

*(Handwritten Signature)*

दक्षिण:-मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन, काँटी के लिए ऐश डार्क हेतु पूर्व में अर्जित क्षेत्र।


पूरब:- सीमान- ग्राम-धमौली रामनाथ, थाना नं०-496

पश्चिम:-अर्जनाधीन अंश खेसरा नं०-5225, 5519

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों के खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हे जिस कार्य के लिए भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन किया जा रहा है, भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले लिए जाएंगे।

यह घोषणा, बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग-कर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2011 की धारा 4 की उपधारा 2 के तहत उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन पर उसमें विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग-कर्ता का अधिकार सभी अवधारों से मुक्त, राज्य सरकार में निरपेक्षतः निहित हो जाएगा।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

  
(रामाशीष राम)  
सक्षम प्राधिकार-सह-  
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी  
मुजफ्फरपुर।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

६० —

सरकार के अवर सचिव  
बिहार, पटना।

ज्ञा० सं०-14/डी०एल०ए० (एम०टी०पी०एस०)-मुजफ्फरपुर-174/12- 231 /रा०, पटना-15, दिनांक:- 24/01/2013

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी०डी० सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अधिघोषणा की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, मुजफ्फरपुर को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।